न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 20/2024 (द0प्र0सं0 के धारा 145 के तहत्)

मो0 हसीब खान वगै0 ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

सफदर खान वगै0 ----------द्वितीय पक्ष

आदेश

20/8/25

अंचल अधिकारी, बगोदर के प्रतिवेदन (पत्रांक 324 दिनांक 06.04.2024) से संतुष्ट होकर भू-विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए द0प्र0सं0 की धारा 145 के तहत दिनांक 12.06.2024 की प्रभावी तिथि से निरोधात्मक कार्यवाई आरंभ की गई तथा नोटिस निर्गत कर उक्त विवाद में सम्मिलित उभय पक्ष को कारण पृच्छा की गई।

विवादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा- हेसला, थाना / अंचल - बगोदर, जिला- गिरिडीह			
खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
06	415	41 डी0 मद्ये 20.5 डी0	उ0- टांड दुखी पाण्डेय, द0- परती कदीम, पू0- टांड नीज, प0- परती कदीम
06	417	39 डी0 मद्ये 19.5 डी0	उ0- टांड दुखी पाण्डेय, द0- धान नीज, पू0- टांड वजीर मियां, प0- टांड नीज
73	2079	98 डी0 मद्ये 49 डी0	उ0- टांड निज, द0- टांड नजीर मियां, पू0- परती कदीम, प0- टांड निज
73	2100	56 डी0 मद्ये 28 डी0	उ0- टांड निज, द0- नजीर मियां, पू0- टांड निज, प0- नजीर मियां
73	2095	36 डी0 मद्ये 18 डी0	उ0- परती कदीम, द0- मोटा आर निज, पू0- परती कदीम, प0- परती कदीम

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उक्त विवाद के संबंध में अपना-अपना पक्ष रखा तथा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किए।

प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि उनकी खतियानी भूमि है। खाता नं0

06 अब्दुल्लाह खान एवं सहदुल्लाह खान के नाम से दर्ज है तथा खाता नं0 73 सिर्फ सहदुल्लाह खान के नाम से दर्ज है। प्रथम पक्ष आगे कहते हैं कि एक खतियान में दोनों भाईयों का तथा एक खतियान में सिर्फ एक भाई का नाम था। उक्त विसंगति के संशोधन के लिए सन् 1922 में पंचायत हुआ तथा उक्त संशोधन में दोनों खाता के जमीन को दोनों भाईयों के मध्य बराबर - बराबर बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के उपरान्त दोनों भाई तथा उनके वंशज अपने-अपने हिस्से को जोत-आबाद करते आ रहे हैं। परन्तु द्वितीय पक्ष बिना मतलब उक्त बंटवारे में प्राप्त भूमि पर लड़ाई-झगड़ा करना चाहते हैं। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में खतियान की छायाप्रति, दो ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति, दाखिल करते हैं।

द्वितीय पक्ष अपने कारण पृच्छा में कहते हैं कि वादग्रस्त भूमि रैयती खाते की है तथा सहदुल्ला खां तथा अब्दुल्लाह खां के मध्य आपसी घरैया बंटवारा के आधार पर दोनों भाई कुल रकबा मध्ये 1.22 एकड़ पर कायम - काबिज तथा दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि सहदुल्लाह खान के पुत्र गफुर खान के हिस्से कि भूमि जो खाता सं0 06, प्लॉट सं0 415 तथा 417 से संबंधित है यह उन्हें खरीदगी हासिल है तथा सहदुल्लाह खान के द्वितीय पुत्र गुलाब खान के हिस्से की भूमि उन्हें वसीयतनामा से हासिल है। इस प्रकार प्राप्त भूमि की जमाबन्दी भी द्वितीय पक्ष के सफदर खान वगैरह के नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। आगे द्वितीय पक्ष का कहना है कि खाता 73 का संपूर्ण रकबा उन्हें खरीदगी तथा वसीयत से प्राप्त है तथा इस पर उनका दखल-कब्जा है। द्वितीय पक्ष उक्त संपूर्ण रकबा के स्वत्व (Title) पर अपना दावा करते हैं तथा प्रथम पक्ष के दावें को खारिज करते हैं। द्वितीय पक्ष आगे यह भी बयान करते हैं कि NH-2 के 6 लेन चौड़ीकरण योजना में उन्हें उक्त भूमि के अंश भाग के अधिग्रहण पर मुआवजा भी मिला है साथ ही उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा वाद सं0 138/2023 धारा 144 के तहत वर्त्तमान द्वितीय पक्ष को इसी वादग्रस्त भूमि के मामले में इनके पक्ष में आदेश प्राप्त हुआ था।

द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में विक्रय विलेख सं0 1864 दिनांक 17.05.19 की छायाप्रति, विक्रय विलेख सं0 985 दिनांक 26.02.19 की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, धारा 144 वाद सं0 138/2023 की छायाप्रति इत्यादि प्रस्तुत करते हैं।

अंचल अधिकारी, बगोदर का प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें वे प्रतिवेदित करते हैं कि वादग्रस्त भूमि खतियानी रैयती भूमि है तथा सरजमीन पर दखल-कब्जा के बिन्दु पर स्पष्टत: प्रतिवेदित करते हैं कि खाता नं0 73 पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है तथा खाता नं0 06 पर प्रथम तथा द्वितीय पक्ष का सम्मिलात दखल

कब्जा है। अंचल अधिकारी बगोदर किसी पक्ष के बेदखली का उल्लेख अपने जाँच प्रतिवेदन में नहीं करते है।

विवेचन :

उभय पक्ष के द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अध्ययन करने, संलग्न राजस्व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने, अंचल अधिकारी, बगोदर के जाँच प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि :-

उभय पक्ष के मध्य विद्यमान भू-विवाद में किसी पक्ष के द्वारा दुसरे पक्ष को अवैध रूप से बेदखल (unlawful dispossession) नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष ने अपने प्राथमिक आवेदन या उत्तरोत्तर दाखिल कारण पृच्छा या पूरक कारण पृच्छा में भी बेदखली का उल्लेख नहीं किया है। सुनवाई के दौरान उभय पक्ष यह स्वीकार किए कि वे अपने-अपने हक-हिस्से कि भूमि पर कायम-काबिज हैं। अंचल अधिकारी बगोदर भी अपने प्रतिवेदन में स्पष्टतः प्रतिवेदित करते है कि खाता नं0 06 में उभय पक्ष का सम्मिलात तथा खाता नं0 73 की जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल-कब्जा है। प्रथम पक्ष के आवेदन तथा उत्तरोत्तर प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने तथा प्रथम पक्ष को सुनने से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष का विवाद बंटवारे (partition) तथा स्वत्व (Title) को लेकर है।

उपरोक्त बंटवारे (partition) तथा स्वत्व (Title) का विवाद उभय पक्ष के निम्नलिखित खातों की जमीन से संबंधित है-

(i) खाता सं0 06 : उभय पक्ष की सम्मिलात (Joint) भूमि है। उक्त खाते की भूमि के बंटवारे पर प्रथम पक्ष का विवाद है।

(ii) खाता सं0 73 : इस खाते के खतियानी रैयत मात्र द्वितीय पक्ष के पूर्वज हैं। प्रथम पक्ष इस खाते पर स्वत्व (Title) तथा बंटवारा (partition) चाहते हैं।

खाता सं0 06 के भूमि के कुछ प्लॉट पर प्रथम पक्ष बंटवारा (partition) चाहते हैं जिसके निपटारा के लिए उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। खाता नं0 73 में प्रथम पक्ष सर्वे रैयत के रूप में अपने पूर्वज का नाम जोड़कर बंटवारा चाहते हैं। सर्वे अंतिमीकरण के सभी प्रक्रिया समाप्त होने के लम्बे समय व्यतीत होने के कारण इस मामले का भी समाधान सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है।

अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा वाद सं0 138/2023 द0 प्र0 सं0 धारा 144 के विवेचन के क्रम में पूर्व में भी यही निर्देश प्रथम पक्ष को दिया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष उक्त निर्देश का पालन न कर अनावश्यक विवाद खड़े करते रहते हैं जिससे विवाद का स्थायी निपटारा नहीं हो पाता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रथम पक्ष को पुनः आदेशित किया जाता है कि वे विवाद का निपटारा हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे तथा सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त किए बगैर द्वितीय पक्ष को उनके दखल-कब्जे की भूमि से बेदखल करने अथवा उनके अपने कब्जे की जमीन पर निर्माण कार्य करने से बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे। द्वितीय पक्ष भी प्रथम पक्ष के दखल-कब्जे को बाधित नहीं करेंगे।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। स्थल पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु आदेश से थाना प्रभारी बगोदर, अंचल अधिकारी बगोदर को अवगत कराएं।

लेखापित एवं संशोधित

20/5/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया।

20/5/25

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.09.11 10:38:57 +05:30
Location: 192.168.1.5